

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 17, 1982/फाल्गुन 26, 1903
NO. 6] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 17, 1982/PHALGUNA 26, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1982

का०नि०आ० 8-ई—सशस्त्र सेना (घायात इयूटिया) अधिनियम, 1947 (1947 का 15वां)
की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय की विनांक 18 अप्रैल, 1981 की अधिसूचना संख्या का०नि०आ० सं० 14-ई, 16
मई, 1981 की अधिसूचना संख्या का०नि०आ० सं० 15-ई, 16 जून, 1981 की अधिसूचना संख्या
का० नि० आ० सं० 17-ई, 16 जुलाई, 1981 की अधिसूचना संख्या का०नि०आ० सं० 18-ई, 17
अगस्त, 1981 की अधिसूचना सं० का०नि०आ० सं० 21-ई, 16 सितम्बर 1981 की अधिसूचना
संख्या का०नि०आ० सं० 22-ई, 17 अक्टूबर, 1981 की अधिसूचना संख्या का०नि०आ० सं० 25-
ई, 16 नवम्बर 1981 की अधिसूचना संख्या का० नि०आ० सं० 26-ई, 17 दिसम्बर 1981
की अधिसूचना संख्या का०नि०आ० सं० 32-ई तथा 15 जनवरी 1982 की अधिसूचना संख्या

कांति०आ० सं० 4-ई, और 15 फरवरी 1982 की अधिसूचना संख्या कांति०आ० सं० 7-ई के अनुक्रम में केन्द्र सरकार एनद्द्वारा असम राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण, संभरण, संचालन और अनुरक्षण तथा पाइप लाइनों और तेल प्रतिष्ठानों को चलाने के संबंधित प्रत्येक सेवा को 18 मार्च, 1982 से एक महीने की और अवधि के लिए समाज के लिए अत्यधिक सहत्व की सेवा घोषित करती है।

[पत्र सं० 2(35)/80/डी० (जी एस०-1)]

के०ए० नम्बियार, संयुक्त सचिव(जी)

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 1982

S.R.O. 8(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 2 of the Armed Forces (Emergency Duties) Act, 1947 (15 of 1947), and in continuation of the notifications of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. No. 14-E dated the 18th April, 1981, S.R.O. No. 15-E dated the 16th May, 1981, S.R.O. No. 17-E dated the 16th June, 1981, S.R.O. No. 18-E dated the 16th July, 1981, S.R.O. No. 21-E dated the 17th August, 1981, S.R.O. No. 22-E dated the 16th September, 1981, S.R.O. No. 25-E dated the 17th October, 1981, S.R.O. No. 26-E dated the 16th November, 1981, S.R.O. No. 32-E dated the 17th December, 1981, S.R.O. No. 4-E dated the 15th January, 1982, and S.R.O. No. 7-E dated the 15th February, 1982, the Central Government hereby declares every service forming part of, or connected with, the generation, supply, operation and maintenance of petroleum products and running of oil installations and pipelines in Assam to be a service of vital importance to the community for a further period of one month with effect from 18th March, 1982.

[F. No. 2(35)/80/D(GS-I)]

K. A. NAMBIAR, Jt. Secy.(G)